

(23)	राजस्थान टीचर ट्रेनिंग संकलन गणपति नगर, जूनपुर	STC	50
(24)	कोरियर टीचर ट्रेनिंग संकलन, गणपति नगर, जूनपुर	STC	50
(25)	महाराजा अवधान कॉलेज, नगर, भरतपुर	STC	50
(26)	जीवनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, गांधी-पोर्ट अड्डे, विद्यावा, झज्जूर	STC	50
(27)	रोडवाली एसटीटी कॉलेज, रोडवाली के पांच, जयपुर रोड, बीकानेर	STC	50
(28)	श्री नारदयन टीचर ट्रेनिंग संकलन, चौमान चिठ्ठी, नागर	STC	50
(29)	श्री रामा एसटीटी कॉलेज, घरखड, भरतपुर, नागर	STC	50
(30)	जन-एका एसटीटी	STC	50
(31)	श्री आर. खोखर टीचर ट्रेनिंग संकलन विद्या, नागर	STC	50
(32)	स्थानी केन्द्रीयनन्द टीटी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़, अलवर	STC	50
(33)	विल्फ्रून टीटी कॉलेज, दादाबांठी, कौटी	STC	50
(34)	लाइस इन्टरनेशनल कॉलेज फॉर टीचर ट्रेनिंग, विकास, अलवर	STC	50
(35)	अलवर महिला टीचर ट्रेनिंग संकलन, विश्वामित्रा, विरसी रोड, जयपुर	STC	50
(36)	विद्यानी गल्ली कॉलेज, विधापार, नांदा, जूनपुर	STC	50
(37)	महाला गांधी कॉलेज ओफ एज्युकेशन, सीतापुर, जूनपुर	ETE	50
(38)	भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, विश्वामित्रा, अलवर	STC	50
(39)	दीप इन्टरनेशनल टीटी रघू, हरसीली, काटकारिया, अलवर	STC	50
(40)	रत्नी देवी यालिका दाएटाटासी विधालय, दारपुरुष, हिन्दोनसिटी, करीला	DED	50
	पुनर्जनन संस्थान गोमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, विलानी, जूनपुर	(STC)	50
(42)	भगवान महादेव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, गांधी-पोर्ट वडातला, 107-इन, बालोड़	STC	50
(43)	श्री महाला भाई माहिला एसटीटी संकलन, जूनपुर	STC	50
(44)	यात्राजी शिक्षण संस्थान, गांधी-आसपुरा, लखनऊगाँवी, नागर	STC	50
(45)	नाता एसरो ईचो टीटी, कॉलेज, राजीता ईतडी, बीजून	STC	50
(46)	नवन एसटीटी, कॉलेज नाई गिरी जूनपुर	STC	50
(47)	राजस्थान गल्ली इसटीटी, रघूल विधालय, नलसीला जूनपुर	STC	50
	दला भारतीय छात्र महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, नाम सम भाना, बीकानेर	STC	50
(49)	भारती एसक शिक्षाकांश संस्था।, चक्र-2 एम.एल. विधाला, इन्द्रप्रस्थ रोड, श्रीगंगानगर	STC	50
(50)	भद्रस्त टीचर ट्रेनिंग रघूल पुरानी ढाक, टाक	STC	50
(51)	आरसी.गोपालिम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, नरसाल जस्तान, पाली	STC	50
(52)	विद्याधक कॉलेज ओफ एज्युकेशन गांधी इल्ला सरदारा, काटपुराली, जयपुर	STC	50
(53)	जे.वी. टीचर ट्रेनिंग इन्टीट्यूट शार्दूल शहर अग्रणीगढ़	STC	50
(54)	श्री शिव एसटीटी, कॉलेज जास्ती रघू, गोपालगढ़, जूनपुर	STC	50

उपरोक्त 40 वांत तात्त्वाओं ने निम्न रातों के आधार पर प्रवेश प्राप्तिया प्राप्तम रखा रखा रखा।

- प्रवेश के न्यूनतम शक्तिशाली योग्यता रीचियर संकायकी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समक्षा पर कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिये। समक्षा परीक्षा के मामले में माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजानेर से मान्यता प्राप्त होता आवश्यक होगा। इसी के साथ अभ्यर्थी को सेवा लगावाली परीक्षा ज्ञानमें 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक हो, उत्तीर्ण होना चाहिये।
- शैक्षिक सत्र 2008-09 में दीएसटीटी/एनटीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्री-प्रवेश चरीका के आधार पर धरीयता सूची के अनुसार किया जायेगा।

दिग्निन प्रशिक्षण विद्यालयों/ संस्थाओं में आवृत्ति सीटों में अनुमतित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य विछिना दर्ता, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के यत्नमान में नवीनताग्रन्थादी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के यत्नमान में प्रबलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।
5. एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तों की चूंकि परवाल रक्ता को छात्र आवृत्ति किये जायें—

- (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.
- (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- (iii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (गान्धी, मानवरक्ष और विज्ञानिक) नियम 2007 के विनियम 7(11) के तहत इन संस्थाओं को उपर्युक्त शर्तों की चूंकि परवाल रक्ता का अधिकार आवृत्ति के लिए नियम 7(2) के तहत बोधीय नियम द्वारा विनियम 7(11) के अधीन भाग्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन ग्राह्य होने के बाद ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किये जाने का प्रावधान है, इसलिए इन संस्थाओं को ग्रन्त राज्या 5 (i) पर अंदि शर्तों की पालना एवं संचिक वालिका शिक्षा फाउण्डेशन, उदयपुर में स्थापित द्वारा जामा करवाई जानी की प्रावृत्ति रसीद प्रस्तुत किये जाने पर ही छात्र आवृत्ति किये जाते।


18.9.07
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि.— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक जर्यवाही देते प्रतिष्ठित है—

1. निजी संघिय, शिक्षा नियंत्रण संस्थान
2. निजी संघिय, प्रभुख रासन संघिय, स्कूल शिक्षा।
3. निजी संघिय, रासन संघिय, रेलवे शिक्षा।
4. पंजीयक शिक्षा विनागीय परिषद, राज्य विनागीय परिषद, वीकाने
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, वीएसटीसी/एनटीई 2000 प्राचार्य, राज्य महाविद्यालय, अजमेर को प्रेपित कर लेखा है कि कृपया काउंसिल करने से पूर्ण निर्धारित फीस, राशियाँ एवं शास्ति जमा करवाना सुनिश्चित करें।
7. संघिय, वालिका शिक्षा फाउण्डेशन
8. संवित संस्था
9. शिक्षा पञ्चायती।


19.9.07
शासन उप सचिव